20.06.2023 राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री संदीप दुबे ।

अभियुक्त उमेश सिन्हा एवं संजय द्वारा श्री आसिफ गंज अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त किरण शर्मा (तिवारी) द्वारा श्री विनोद प्रधान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त दुर्गा देवी एवं संगीता शर्मा द्वारा श्री सुरेन्द्र माहापात्र अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सविता शुक्ला द्वारा श्री नवज्योति राज शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सरोजनी शर्मा द्वारा श्री ए.के.सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सुलोचना आडिल द्वारा श्री अनवर फारूकी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त नीरज जैन द्वारा श्री यू.बी.पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त रीता तिवारी सहित एवं आरोपीगण उमेश सिन्हा, संजय, किरण शर्मा, दुर्गा देवी, संगीता शर्मा, सविता शुक्ला, सुलोचना आडिल, सरोजनी, नीरज जैन का आज का हाजरी माफी आवेदन पेश। विचार बाद स्वीकृत।

प्रकरण पासपोर्ट नवीनकरण किये जाने की अनुमति हेतु आवेदिका रीता तिवारी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर तर्क/अभियोजन की ओर से बंद लिफाफे में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 173(8)दप्रसं के तहत विवेचना किये जाने की अनुमति पर आदेश हेतु नियत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उनके द्वारा प्रकरण में बंद लिफाफे में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 173(8) का आवेदन एवं एफ.एस.एल.नार्को एनॉलिसिस/पॉलिग्राफी की ऑडियों/विडियो सीडी के साथ रिपोर्ट पेश की गई है। सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत धारा 173(8)दप्रसं के आवेदन की प्रति प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि उक्त आवेदन बंद लिफाफे में पेश की गई है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से व्यक्त किया गया कि प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत जांच ऐजेन्सी को निदेशालय फारेन्सिक सांईस लेबोरेटरी मडीवाला बैंगलोर से सील कवर लिफाफे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट किसी भी आरोपी के खिलाफ नहीं है। उक्त रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण

जानकारियां पुलिस को प्राप्त हुई हैं, इसलिए मामले की आगे जांच कि आवश्यकता है।

प्रकरण का आवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा प्रकरण में धारा 173(8)दप्रसं का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह आवेदन एवं उसके समर्थन में एफ.एस.एल.नार्को एनॉलिसिस/पॉलिग्राफी की ऑडियों/विडियो सीडी के साथ रिपोर्ट सीलबंद अवस्था में प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीलबंद रिपोर्ट में ऐसे क्या नवीन तथ्य उजागर हुए, जिससे मामले की आगे की जांच की पुनः आवश्यकता पड़ी। अभियोजन की ओर से पेश अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि अभियोग पत्र में विवेचना अपूर्ण होना एवं धारा 173(8)दप्रसं के अंतर्गत विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनुमति के साथ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रकरण बैंक में जमा खाता धारकों की धनराशि के गबन से संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में उक्त बैंक की धनराशि गबन किये जाने के संबंध में जिस भी व्यक्ति का दायित्व है उसके विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही अपेक्षित है। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में यह उचित दर्शित होता है कि प्रकरण में जांच एजेंसी आगे की जांच करें।

तद्नुसार विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत आवेदन वास्ते धारा 173(8)दप्रसं को स्वीकार किया जाकर जांच एजेंसी को आगे की जांच किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष आवेदन एवं एफ.एस.एल.नार्को एनॉलिसिस/पॉलिग्राफी की ऑडियों/विडियो सीडी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि उक्त संबंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा तर्क किया गया है कि धारा 173(8)दप्रसं के संबंध में आरोपी को श्रवण किया जाना आवश्यक नहीं है एवं सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसे खुले में प्रस्तुत किये जाने से तथ्यों का विवेचना के पूर्व उजागर होने की संभावना है, जिससे विवेचना प्रभावित हो सकती है।

चूंकि भारतीय न्याय प्रणाली में नैसर्गिक न्याय

श्रवण किया जावे। विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा सीलबंद लिफाफे में आवेदन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से उस पर बचाव पक्ष को श्रवण किया जाना संभव नहीं है, इसलिए विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत सीलबंद रिपोर्ट पर भी विचार किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों क अनुरूप होना परिलक्षित नहीं है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक को यह निर्देश दिया जाता है कि सीलबंद लिफाफा न्यायालय से वापस लेकर धारा 173(8)दप्रसं का मूल आवेदन प्रस्तुत करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जो भी दस्तावेज या रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं उसे खुले में ही बचाव पक्ष को प्रति प्रदान कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

तद्नुसार विशेष लोक अभियोजक की ओर से ओवदन अंतर्गत धारा 173(8)दप्रसं निराकृत।

प्रकरण पासपोर्ट नवीनकरण आवेदन पर तर्क/अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। साक्षियों को समंस जारी हो।

प्रकरण वास्ते तर्क/साक्ष्य हेतु दिनांक 27.06.2023

सही/–
(भूपेश कुमार बसंत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)

सत्यापित प्रति–विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सूचनार्थ।

(भूपेश कुमार बसंत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ0ग0)